न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— **पंकज कुमार आर.ए.एस.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या **43/2023**

प्रार्थीनी —

1. फतेंहसिंह पुत्र श्री उदाराम जाति माली निवासी नया बास, जैन स्थल के पास, महामन्दिर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण—

1. तहसीलदार तहसील जोधपुर।
2. सचिव/प्रबंधक रिको इण्डस्ट्रीज एरियां, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

1. प्रार्थी संख्या 1 की और से सरकारी पेरोकार ।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित व्यास।

आदेश दिनांक : 12/1/24

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल आर एक्ट का पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी की गांव दईजर में खसरा नम्बर 345/2 रकबा 37 बीघा, खसरा नम्बर 345/2/1 रकबा 36 बीघा भूमि आयी हुई। उक्त खातेदारी भूमि के प्रार्थी रेकर्डेड खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 348 आयी हुई है। प्रार्थी के खातेदारी नम्बर 345/2 व 345/2/1 के पश्चिम के रास्ता आया हुआ है, उत्तर में एवं पूर्व में खसरा नम्बर 345 आया हुआ है, एवं दक्षिण में खसरा नम्बर 348 आया हुआ है, प्रार्थी द्वारा पूर्व व उत्तर व पश्चिम की सींव माठ पर दीवार निकाल कर अपनी माठ कायम कर रखी है लेकिन दक्षिण की तरफ आये खसरा नम्बर 348 की तरफ माठ कायम करके पत्थरगढ़ी करनी चाही तो अप्रार्थी द्वारा ऐसा करने में अड़चनें पैदा कर दी एवं पत्थरगढ़ी नहीं करने दी। अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा पत्थरगढ़ी नहीं करने देने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 के समय सीमांकन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसपर तहसीलदार ने आदेश पारित किया गया, जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 04.07.2023 को खसरा नम्बर 345/2/ व 345/2 की सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

प्रार्थी एवं उपस्थित मौतबिरान को करवाया गया जिसके अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी करनी चाही, लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा पत्थरगढ़ी करने से मना कर दिया गया, तब प्रार्थी की ओर से यह पत्थरगढ़ी एवं सीमांकन का प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना पड़ा। प्रार्थी द्वारा सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाने के लिए नियमानुसार शुल्क अदा करने हेतु तैयार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 345/2 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 345/2/1 रकबा 36 बीघा भूमि का सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से जवाब प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कथन अप्रार्थी संख्या 2 की जानकारी क अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं इस पद में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अपने स्वत्व विलेख माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए इस तथ्य को प्रमाणित करें कि राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 345/2 की 37 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा संख्या 345/2/ की 36 बीघा भूमि उसकी खातेदारी की है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में वर्णित कथन विवादित नहीं हैं, मगर प्रार्थी ने इस पद में सम्पूर्ण वास्तविक तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है। वास्तव में ग्राम दईजर के खसरा संख्या 348 की कुल 141 बीघा भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2002 के जरिए अप्रार्थी संख्या 2 रीको को किया था। उक्त आदेश की अनुपालना में श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा खसरा संख्या 348 की 141 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्टोन पार्क की स्थापना हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करते हुए श्रीमान तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया कि मौके पर भूमि का सीमांकन करवाकर राजस्व अभिलेख में नियमानुसार नोट अंकित किया जावे। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 रीको के नाम से दर्ज की गई। तत्पश्चात श्रीमान तहसीलदार जोधपुर द्वारा 04.01.2016 को उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द करने हेतु संबंधित पटवारी को आदेश जारी किया, जिस आदेश की पालना में पटवारी माणकलाव द्वारा मौके पर भूमि की पैमाईश करके मुटाम लगाकर दिनांक 04.01.2016 को भूमि का मौके पर भूमि पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। खसरा नम्बर 348 ग्राम दईजर की 141 बीघा 2 बिस्वा भूमि का विधिवत रूप से न केवल अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्व अधिकारियों द्वारा कब्जा सुपुर्द किया जा चुके है। प्रार्थी को उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर पत्थरगढ़ी हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या तीन व चार में वर्णित कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है कि प्रार्थी ने अपनी भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ खसरा नम्बर 348 की ओर मात

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

कायम करके पत्थरगढ़ी करनी चाही हो और अप्रार्थी ने ऐसा करने में अडचन पैदा करके पत्थरगढ़ी नहीं करने दी हो। इस पद में वर्णित यह कथन भी पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष सीमांकन के लिए प्रार्थनापत्र दिया हो और पटवारी ने दिनांक 04.07.2023 को खसरा नम्बर 345/2/1 व 345/2 का सीमाज्ञान प्रार्थी को करवाया हो, मगर अप्रार्थी संख्या 2 ने पत्थरगढ़ी करने से मना कर दिया हो। वास्तव में खसरा नम्बर 348 की माठ पूर्व से ही वर्ष 2016 में ही कायम हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में पडौस के खसरों की माठ स्वतः ही स्थापित हो जाती है। जहां तक प्रार्थी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष सीमांकन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का और अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा सीमांकन का आदेश पारित करने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना उचित होगा कि इस बारे में उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तगत प्रकरण के नोटिस प्राप्त होने से पूर्व कभी भी कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही अप्रार्थी संख्या 2 ने कभी भी पत्थरगढ़ी से इनकार किया है। अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तगत प्रार्थनापत्र की प्रति प्राप्त होने पर ही सर्वप्रथम इस तथ्य का ज्ञान हुआ है कि प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने पत्थरगढ़ी करने से कभी भी इनकार नहीं किया है, क्योंकि वास्तविकता में तो पत्थरगढ़ी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वर्ष 2016 में ही खसरा संख्या 348 की 141 बीघा 2 बिस्वा भूमि का विधिवत रूप से कब्जा सुपुर्द करते समय पत्थगढ़ी की कार्यवाही की जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी ने पूर्णतया गलत तथ्य वर्णित करते हुए पत्थगढ़ी हेतु आवेदन किया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 में वर्णित तथ्यों के प्रतिउत्तर की आवश्यकता नहीं है।

तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो इस प्रकार है कि प्रार्थी फतेहसिंह द्वारा कार्यालय जिला कलक्टर महोदय द्वारा जारी 12652 दिनांक 11.08. 2023 द्वारा जारी नक्शा मोमी ट्रेस के आधार पर ग्राम दईजर के खसरा नंबर 345/2 की दक्षिणी माठ व खसरा नम्बर 348 की उत्तरी माठ के सीमांकन हेतु मौके का नक्शे अनुसार अवलोकन किया गया, मौके पर खसरा नम्बर 348 की दक्षिणी माठ पर ग्राम देसुरिया खारोलान के सीमा मुटाम नजरी नक्शे अनुसार बिन्दु A व D से दर्शाये है मौके पर मौजूद अनुसार सीमांकन कर नजरी नक्शा निम्नानुसार तैयार किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

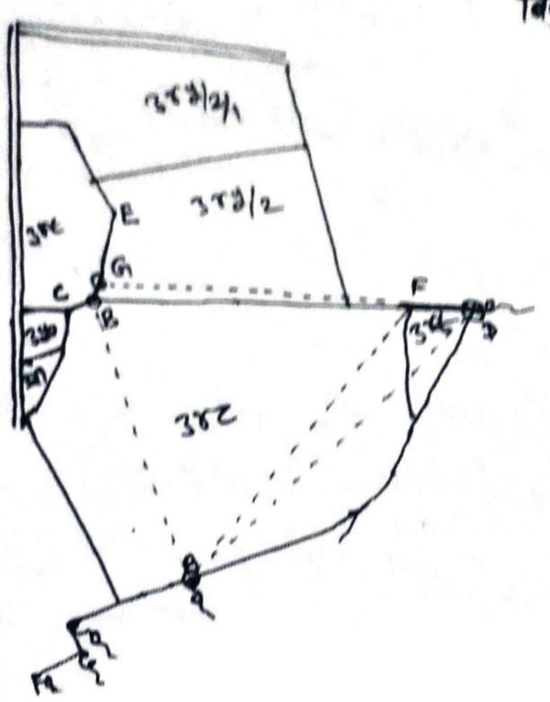

बिंदु A से B = 314 गट्ठा
A से D = 312 —"—
C से B = 27 गट्ठा
E से B = 66 गट्ठा
A से F = 280 —"—
B से G = 5.5 गट्ठा

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा व वकुलाय अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस का अध्ययन कर विचार किया गया तहसीलदार जोधपुर रिपोर्ट अनुसार ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 345/2 की दक्षिण माठ व खसरा नम्बर 348 की उत्तरी माठ के सीमांकन हेतु मौका का नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 348 की दक्षिण माठ पर ग्राम देसूरिया खारोलान के सीमा मुटाम नजरी नक्शे अनुसार है। मौके पर मौजूद अनुसार सीमांकन कर नजरी नक्शा तैयार कर प्रेषित किया गया है। बिन्दु G से C तक RIICO जोधपुर द्वारा खसरा नम्बर 345 में मुटाम कायम किये हुए है जो लाल डॉट से दर्शाये गए मौका फर्द मौके पर उपस्थित मौतबिरान को पढ़कर सुनाई गई।
बिंदु संख्या G से C तक RIICO जोधपुर द्वारा 345 से मुटाम कायम किये गये है जो लाल डॉट से दर्शाया गये है।

इस प्रकार उक्त रिपोर्ट पर किसी पक्ष की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है फर्द मौका अनुसार ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 345/2 के दक्षिण माठ व खसरा नम्बर 348 की उत्तरी माठ, माठ पर नजरी नक्शा अनुसार किये गये

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

सीमांकन के आधार पर पत्थरगढ़ी की जावे मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा को इस आदेश का अंग समझा जावे।

(पंकज कुमार)आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर),
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 12/1/24 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(पंकज कुमार)आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर),
जोधपुर